भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प, भोपाल

पुनरीक्षण क्रमांक

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/4944

महेश कुशवाहा पुत्र स्व0 श्री कुंजीलाल कुशवाहा

आयु वयस्क, निवासी ग्राम पिपलिया बाजखाँ

तह. हुजूर जिला भोपाल ---------पुनरीक्षणकर्ता

श्री बी.पी. तिवारी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किया 21/7/17

विरूद्ध

1- भारतसिंह पुत्र स्व0 श्री मुंगाराम, आयु वयस्क

2- चंदनसिंह पुत्र स्व0 श्री मुंगाराम आयु वयस्क

दोनों निवासीगण ग्राम पिपलिया बाज खाँ

तहसील हुजूर जिला भोपाल ---------अनावेदकगण

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भू रा. संहिता 1959

प्रकरण क्रमांक- 135/अ-12/16-17

आदेश दिनांक:- 05-05-2017

अधिनस्थ न्यायालय :- राजस्व निरीक्षक तहसील हुजूर वृत्त 2, भोपाल

पुनरीक्षणकर्ता के स्वामित्व की भूमि खसरा क्रमांक- 132/1, 133/1, 134/1, रकबा 0.95 हेक्टर ग्राम पिपलिया बाज खाँ तहसील हुजूर जिला भोपाल में स्थित होकर अनावेदकगण की भूमि खसरा क्रमांक 135, 136, रकबा लगभग 0.71 हेक्टर से लगी हुई भूमि है। अनावेदकगण ने उक्त भूमि का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण क्रमांक के रूप में दर्ज कर सीमांकन की कार्यवाही प्रारंभ कर आकर अंतिम रूप से नहीं की गयी जिससे पुनरीक्षणकर्ता दुखित होकर उपरोक्त अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न प्रकरण के तथ्यों एवं आधारों पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/4944

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30–1–2018	आवेदक की ओर से सूचना उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं । आवेदक की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के वादग्रस्त आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं कर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि से छूट हेतु म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 48 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । प्रकरण की ग्राह्यता के संबंध में निगरानी मेमों का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से यह निगरानी सीमांकन कार्यवाही के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । निगरानी मेमों में उठाये गये आधार प्रकरण के ग्राह्यता के लिए पर्याप्त नहीं हैं । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	